



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262112 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक : 8271 / अका. / 2006

दिनांक : 30 / 06 / 2006

॥ अधिसूचना ॥

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के अधिसूचना क्रमांक F 3-1/2000(PS) मार्च, 2000 में व्याख्याता पद तथा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक-45 में शोध उपाधि हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रत्याशियों के लिए स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्राप्तांक में न्यूनतम 55 प्रतिशत से छूट प्रदान करते हुए 50 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। इस आधार पर विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक-52 "एम.फिल." पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए भी उक्त वर्ग के प्रत्याशियों हेतु न्यूनतम प्राप्तांक 50 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है।

आदेशानुसार,

उपकुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक : 8272 / अका. / 2006

प्रतिलिपि :-

दिनांक : 30 / 06 / 2006

1. कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. कुलपति के सचिव,
3. विभागाध्यक्ष, समस्त अध्ययन शाला,
4. समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपकुलसचिव (अका.)